न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला, टोंक
(पीठासीन अधिकारीः सुरेश कुमार हरसोलिया, आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं0––119/2023

प्रविष्टि दिनांक ––23.6.2023

उनवान

चन्द्रवीर सिंह पुत्र भोपाल सिंह जाति राजपुत उम्र 47 साल निवासी ग्राम वहकवा तहसील निवाई जिला टोंक।

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार निवाई जिला टोंक

अप्रार्थी

उपस्थित–1. श्री रमेश कुमार शर्मा–वकील प्रार्थी
पैरोकार सरकार–अप्रार्थी

निर्णय
वाद पत्र बाबत–दुरूस्ती इन्द्राज

दिनांक–06/02/25

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती इन्द्राज प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार वादिया की कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि आराजी ख.न. 151 रकबा 0.9611 है0, ख0नं0 152 रकबा 0.6197 है0, ख0नं0 303 रकबा 0.3541 है0, ख0नं0 322 रकबा 0.4679 है0, ख0नं0 323 रकबा 0.1012 है0, ख0नं0 324 रकबा 0.1012 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 2.6052 है0 वाके ग्राम बहकवा पटवार हल्का बिडोली तह0 निवाई जिला टोंक में स्थित भूमि है। इस भूमि में प्रार्थी का हक व हिस्सा 1/5 निहित है। तथा प्रार्थी इस भूमि में 1/5 हिस्से का रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि में खातेदार का वास्तविक नाम चंद्रवीर सिंह पुत्र भोपालसिंह सभी सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है। किन्तु फिर भी राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से त्रुटिवश सुरेन्द्र सिंह पुत्र भोपालसिंह गलत रूप से अंकित हो गया। जिसको राजस्व रिकार्ड में चंद्रवीर सिंह पुत्र भोपालसिंह दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं विधि संगत है। यह कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड के अलावा सभी दस्तावेजों में चंद्रवीर सिंह पुत्र भोपालसिंह अंकित है जो सभी दस्तावेजों के अलावा प्रार्थी का मुताबिक आधार कार्ड, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, जनआधार कार्ड, वोटरआईडी, मार्कशीट, ड्राईविंग लाईसेन्स, बैंक पासबूक व कार्यालय ग्राम पंचायत बिडोली द्वारा जारी प्रमाण–पत्र एवं सभी दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का नाम चंद्रवीर सिंह पुत्र भोपालसिंह राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है ताकि प्रार्थी को अनावश्यक असुविधा कारित ना हो। यह कि प्रार्थी ने अपना नाम को दुरूस्त करने हेतु तहसीलदार जी निवाई के समक्ष अपना नाम को दुरूस्त करने हेतु अनुरोध किया था परन्तु तहसीलदार साहब निवाई ने न्यायालय का आदेश लाने पर ही उक्त नाम को दुरूस्त करने का आश्वासन दिया है इस कारण प्रार्थी को उक्त प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। यह कि भूमि ग्राम बहकवा तह0 निवाई में स्थित होने से एवं मान्य न्यायालय के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से मान्य न्यायालय को उक्त प्रार्थना–पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। यह कि प्रार्थना–पत्र उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मयाद पेश है। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र सिंह पुत्र भोपालसिंह के स्थान पर चंद्रवीर सिंह पुत्र भोपालसिंह दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार निवाई को आदेश फरमाया जावे।

इसके पश्चात वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे जमाबंदी संवत 2071–74, जनआधार कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, दसवीं की मार्कशीट, ड्राईविंग लाईसेन्स, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, ग्राम पंचायत प्रमाण–पत्र आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

पैरोकार सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत किया, जिसमे अंकितानुसार ग्राम बहकवा के जमाबंदी सवंत् 2071–74 जमाबंदी 2079 (वर्ष2022)से स्थायी के खाता संख्या 67 में ख0नं0 151 रकबा 0.9611 है0, ख0नं0 151 रकबा 0.9611 है0, ख0नं0 152 रकबा 0.6197 है0, ख0नं0 303 रकबा 0.3541 है0, ख0नं0 322 रकबा 0.4679 है0, ख0नं0 323 रकबा 0.1012 है0, ख0नं0 324 रकबा 0.1012 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 2.6052 है0 में सहखातेदार सुरेन्द्र सिंह पुत्र भोपालसिंह हिस्सा 1/5 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। यह है कि प्रार्थी खातेदार का सभी सरकारी दस्तावेजों में नाम चन्द्रवीर सिंह पुत्र भोपाल सिंह अंकन है। किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में सुरेन्द्र सिंह पुत्र भोपालसिंह दर्ज है। यह है कि प्रार्थी के सरकारी दस्तावेजों आधार कार्ड, पहचान–पत्र, ई–श्रमकार्ड, जनआधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, दसवीं की अंक तालिका (BSER) एवं राशनकार्ड में चन्द्रवीर सिंह पुत्र भोपालसिंह निवासी बहकवा तह0 निवाई जिला टोंक (राज0) अंकन है। जो कि संलग्न है। यह है कि ग्रामवासियों से जानकारी करने पर बताया कि प्रार्थी चन्द्रवीर सिंह पुत्र भोपालसिंह व सुरेन्द्र सिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत दोनों एक ही व्यक्ति होना बताया गया।

पैरोकार सरकार ने अपने जवाब की पुष्टि मे जमाबंदी संवत 2071–74 सरकारी दस्तावेजों आधार कार्ड, पहचान–पत्र, ई–श्रमकार्ड, जनआधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, दसवीं की अंक तालिका (BSER) एवं राशनकार्ड आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

हमने वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं प्रकरण मे प्रस्तुत साक्ष्यो का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध आधार कार्ड, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, जनआधार कार्ड, वोटरआईडी, मार्कशीट, ड्राईविंग लाईसेन्स, बैंक पासबूक व कार्यालय ग्राम पंचायत बिडोली द्वारा जारी प्रमाण–पत्र में प्रार्थी का नाम चन्द्रवीरसिंह पुत्र भोपालसिंह अंकित है इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्व कार्मिक द्वारा लिपिकीय त्रुटि हुई है। साक्ष्य दस्तावेज से साबित है कि प्रार्थी का सही नाम चंद्रवीर सिंह पुत्र भोपालसिंह है। स्पष्ट है कि **''सुरेन्द्र सिंह पुत्र भोपालसिंह''** के स्थान पर **चन्द्रवीर सिंह पुत्र भोपालसिंह** लिखा जाना लिपिकिय त्रुटि प्रतीत होती है जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत सही किये जाने योग्य है। प्रस्तुत वाद की प्रकति उक्त धारा के परिप्रेक्ष्य मे है जिसके अनुसार दुरूस्त कराने के वादिया अधिकारी है। अतः दस्तावेजो के आलोक मे प्रार्थनापत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

फलतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाकर तहसीलदार **निवाई** को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम **बहकवा, तहसील निवाई, जिला टोंक** की जमाबंदी संवत 2071–74 के खाता संख्या 67 में ख0नं0 151 रकबा 0.9611 है0, ख0नं0 151 रकबा 0.9611 है0, ख0नं0 152 रकबा 0.6197 है0, ख0नं0 303 रकबा 0.3541 है0, ख0नं0 322 रकबा 0.4679 है0, ख0नं0 323 रकबा 0.1012 है0, ख0नं0 324 रकबा 0.1012 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 2.6052 है0 मे अंकित नाम **''सुरेन्द्र सिंह पुत्र भोपालसिंह''** के स्थान पर **'' चन्द्रवीर सिंह पुत्र भोपालसिंह ''** शुद्ध कर, तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जाकर, पालना से अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज **दिनांक** 06/02/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई

उपखण्ड अधिकारी निवाई